Inspection Report of M/s. Bio Medical Waste Disposal Agency, Khasra No. 622, Raya-Neem Gaon Road, Village-Pandwa, Mantt, Distt.-Mathura. in compliance of Hon'ble NGT order dt. 06.05.19 in the matter of O.A. No. 450/2019 (Dharmendra Kumar Mehta vs. Union of India & Ors.)

1.	Name & Address of Industry	M/s. Bio Medical Waste Disposal Agency, Khasra No. 622, Raya-Neem Gaon Road, Village-Pandwa, Mantt, Distt.-Mathura
2.	Date of Inspection/Inspection	15.06.2019
3.	Name and Designation of Inspecting officer	Shri Brajesh Kumar, ADM (F/R), Dr. Sher Singh, CMO & Shri Arvind Kumar, RO, UPPCB, Mathura.
4.	Nature of Industry	Common Bio Medical Waste Treatment Facility.
5.	Category of Industry	Red.
6.	Operational Status	Operational
7.	Product and Capacity	BMW Incineration Capacity-200 Kg/Hr.
8.	By Product	None
9.	Status of Water Consent	Granted up to 31.12.2021 But not comply the condition of consent water
10.	Status of Air Consent	Granted up to 31.12.2021 But not comply the condition of consent air
11.	Source of Water	Ground Water
12.	Utilization of Water Consumption and Discharge Ratio	Domestic-7.0 KLD Industrial-(Ventury Scrubber & washing of vehicles etc.)-3.0 KLD
13.	Details of ETP Installed Capacity of ETP	Collection Tank, Chemical Dosing Tank, Sedimentation Tank, Re Circulation Tank, Sludge Drying Beds, Capacity of ETP-3.0 KLD
14.	Effluent Quantity (KL/Day)	3.0 KL/Day Approximate
15.	Quality of Treated Effluent	Out of Board Standard, Analysis report Enclosed.
16.	Point of Discharge and Final Discharge	100% Treated Effluent will be recycled in ventury Scrubber & washing of vehicles etc
17.	STP Status for domestic effluent	Septic Tank & Soak pit Installed
18.	Whether unit has taken permission from CGWA for ground water extraction.	No
19.	Whether water meter installed on tube well	Not Installed
20.	Source of Air Pollution	Two number incinerator installed having capacity 200 Kg/Hrs. & 100 Kg/Hrs., One incinerator (100 Kg/Day) is out of order/Not in working condition since last year.
21.	Details of Fuel Used	HSD-15Lit./Hrs.
22.	Details of APCS & Stack Height	Ventury Scrubber in installed as a air pollution control system. But at the time of Inspection/survey/monitoring Ventury scrubber was not working satisfactorily. Required

		Temperature is not maintain in primary and secondary chamber.
23.	Details of DG Set (Whether installed acoustic enclosure)	One D.G. Set (With acoustic enclosure) is installed and having capacity-62.5 KVA. But Stack height attached with D.G. Set is not as per norms.
24.	Quantity of Hazardous Waste (Ton/Day)	Incinerated Ash-50 KG/Day Approximate. Waste lubricating Oil-50 Lit./Year.
25.	Status of Hazardous Waste Authorization	Granted.
26.	Any Other Specific Remarks	At the time of inspection following short coming were found.- 1. Log book for waste collection is not maintained at site. 2. No responsible representation was present at the time of inspection. 3. Large quantity of BMW was present in the storage room. 4. ETP was not functioning properly there is no chemical dosing etc. 5. Platform porthole & stairs were not as per CPCB guide lines. 6. Temperature of Primary & Secondary chambers of incinerator was not as per recommendations of BMW Rules, 2016 and the temperature was 380^0C for Primary Chamber & 428^0C for Secondary Chamber, against prescribed temperature for Primary & Secondary chambers, 800^0C & 1200^0C respectively. 7. The duct connecting stack & incinerator was found broken & emission was coming out from that palace. 8. Shredder and autoclave were found out of order. 9. Representative of industry, Shri Sher Singh Operator was not able to produce records of Hazardous waste & its Disposal to the inspecting authority. 10. At the time of monitoring/inspection on-line monitoring system was not in working condition. 11. Recommendation for environmental compensation against industry has been forwarded to UPPCB, Lucknow.

29.6.2019

29.6.19

(Arvind Kumar)
Regional Officer
UPPCB, Mathura

(Dr. Sher Singh)
Chief Medical Officer
Mathura

(Brajesh Kumar)
A.D.M. (F/R)
Mathura

seen
29/6/19

District Magistrate, Mathura

क्षेत्रीय कार्यालय

उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

65 ए, बल्देव पुरी, महोली रोड

मथुरा

पत्रांकः 676 /पी–54/19 दिनांकः 20.08.2019

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः **बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र सं0–एच 39511/सी–4/बी0एम0डब्ल्यू0–30/कारण बताओ नोटिस/2019 दिनांक 01.08.2019 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथा संशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी "कारण बताओ नोटिस" के सन्दर्भ में उद्योग मै0 बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल एजेन्सी, खसरा सं0–622, राया–नीमगांव रोड़, ग्राम–पाण्डवा, तहसील–मॉट, जनपद–मथुरा की निरीक्षण आख्या के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त सन्दर्भित विषय के सम्बन्ध में उद्योग निरीक्षण दिनांक 19.08.2019 को क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा किया गया। निरीक्षण आख्या अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न है। उद्योग को बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 01.08.2019 द्वारा जारी "कारण बताओ नोटिस" की प्रति उद्योग को दिनांक 03.08.2019 को उपलब्ध करायी गयी (छायाप्रति संलग्न)। उक्त के सम्बन्ध में उद्योग से प्राप्त सूचना (उद्योग के पत्र दिनांक 17.08.2019, जो दिनांक 19.08.2019 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है) की छायाप्रति संलग्न। क्षेत्रीय कार्यालय के अभिलेखानुसार उद्योग पर बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0–12,10,000/–मात्र का भुगतान उद्योग द्वारा नही किया गया है। निरीक्षण के दौरान ई0टी0पी0 संचालित नहीं पाया गया तथा पूर्व में निरीक्षण के दौरान दिये गये निर्देशों का अनुपालन उद्योग द्वारा नहीं किया जाता है।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0–एच 39511/सी–4/बी0एम0डब्ल्यू0–30/कारण बताओ नोटिस/2019 दिनांक 01.08.2019 द्वारा जारी "कारण बताओ नोटिस" की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की जाती है।

भवदीय

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

(अरविन्द कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. मुख्य विधि अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. श्री प्रदीप मिश्रा, बोर्ड अधिवक्ता, नोएड़ा।

क्षेत्रीय अधिकारी

CATEGORY- No: 5
MEDICINES AND CYTOTOXIC DRUGS (WASTE COMPRISING OF
AND DISCARDED MEDICINES)

EFFLUENT

SD9

SD9

Envirotech
NEW-IMPROVED
RESPIRABLE DUST SAMPLER
Envirotech APM 460NL
CSIR/NEERI KNOWHOW
APM 460NL
BLOWER

NEW-IMPROVED
RESPIRABLE DUST SAMPLER
Envirotech APM 460NL
CSIR/NEERI KNOWHOW

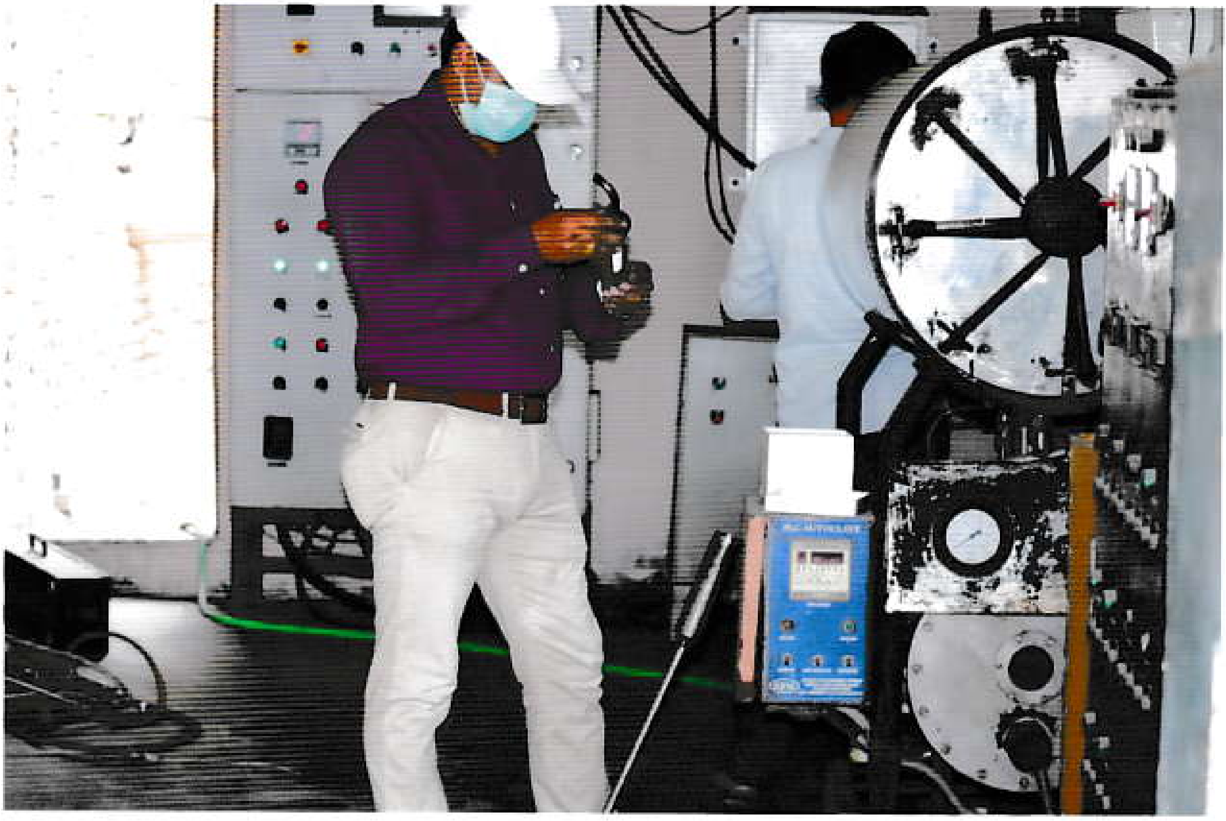

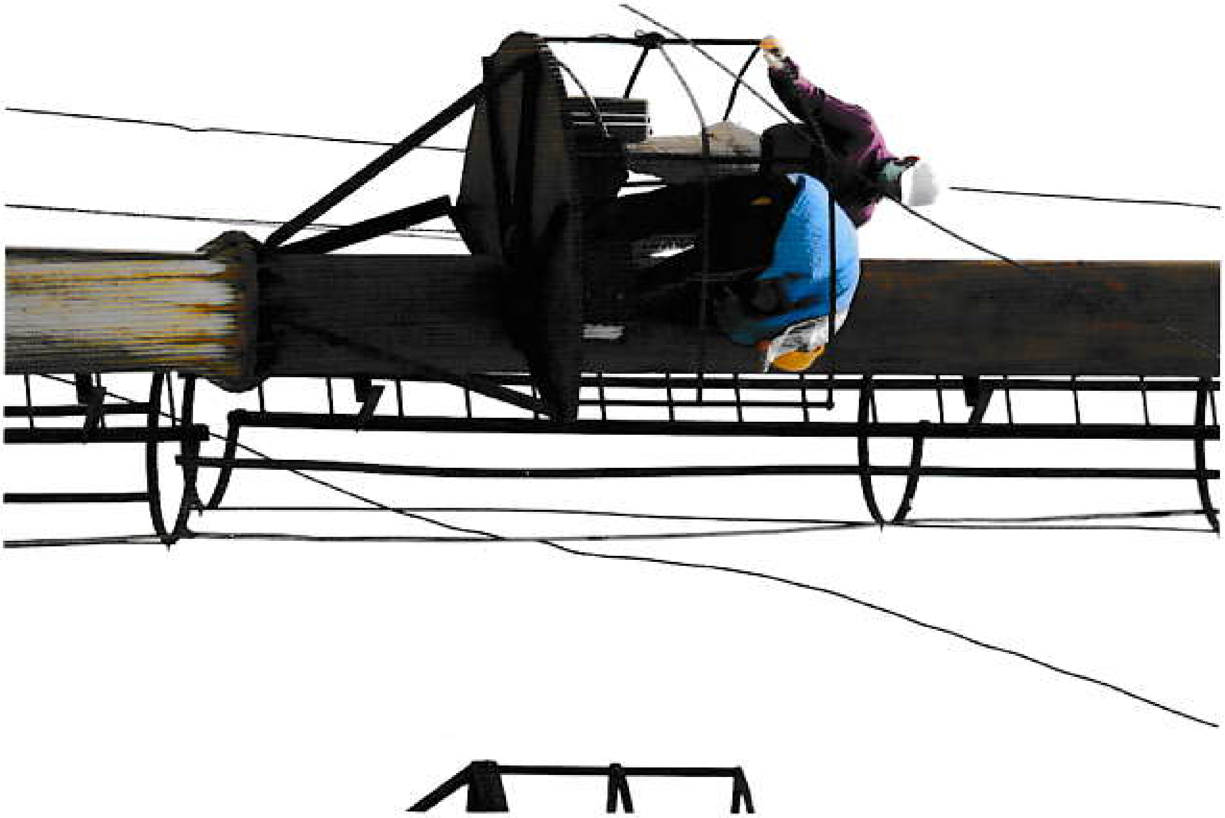

मैसर्स बायो मेडिकल बेस्ट डिस्पोजल ऐजेन्सी (सी0बी0डब्लू0टी0एफ0) खसरा नं0 622, राया, नीम गॉव रोड़, ग्राम–पाण्डवा तहसील–मॉट, जनपद–मथुरा को बोर्ड द्वारा जारी बन्दी आदेश दिनांक 22.08.2019 की अनुपालन आख्याः–

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 450/2019 धर्मेन्द्र कुमार मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.05.2019 के अनुपालन में जिला प्रशासन मथुरा द्वारा गठित समिति की निरीक्षण आख्या दिनांक 15.06.2019 में पायी कामियों के निराकरण/स्पष्टीकरण हेतु वायु(प्रदूषण नियवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथा संशोधित की धारा–31 ए के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय लखनऊ द्वारा पत्र सं0 39511/सी–4/बी0एम0डब्लू0–30/कारण बताओ नोटिस/2019 दिनांक 01.08.2019 द्वारा "कारण बताओ नोटिस" व रू0 12,10,000/– मात्र पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया गया था, जिसके अनुक्रम में उद्योग मैसर्स बायो मेडिकल बेस्ट डिस्पोजल ऐजेन्सी (सी0बी0डब्लू0टी0एफ0) खसरा नं0 622, राया, नीम गॉव रोड़, ग्राम–पाण्डवा तहसील–मॉट, जनपद–मथुरा द्वारा सन्तोषजनक उत्तर एवं अधिरोपित धनराशि का भुगतान बोर्ड को न किये जाने के कारण बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं.–एच–40273/सी–4/बी0एम0डब्लू0/30/बन्दी/19 दिनांक 22.08.2019 द्वारा वर्णित उद्योग को बन्दी आदेश जारी किया गया। बन्दी आदेश दिनांक 22.08.2019 के अनुक्रम में जिलाधिकारी महोदय, मथुरा द्वारा नामित प्रतिनिधि श्री अभिषेक गोयल उपजिलाधिकारी तहसील–मॉट, जनपद–मथुरा की उपस्थिति में आज दिनांक 02.09.2019 को उद्योग में इन्सीनेटर को बन्द कराकरके सील किया जाता है तथा उपजिलाधिकारी व क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा द्वारा उपस्थित प्रतिनिधि श्री विशाल साठे/श्री शेर सिंह, सुपरवाईजर को उपरोक्त वर्णित बन्दी आदेश का अक्षरशः अनुपालन करने एवं उद्योग परिसर में उपलब्ध बायो मेडिकल वेस्ट (मात्रा लगभग–10 मीट्रिक टन) का उचित प्रकार से समुचित निस्तारण स्वयं के व्यय पर अन्य अधिकृत संस्था के माध्यम से कराये जाने एवं परिसर में एकत्रित इन्सीनरेटेड एश (मात्रा लगभग–15 मीट्रिक टन) का निस्तारण बोर्ड द्वारा अधिकृत एजेन्सी के माध्यम से तीन दिन में कराते हुए जिलाधिकारी महोदय/उप जिलाधिकारी व बोर्ड को सूचित करने हेतु निर्देशित किया गया।

उपरोक्त का समुचित व सन्तोषजनक अनुपालन न किये जाने की दशा में उद्योग व उद्योग के पदाधिकारियों के विरूद्ध होने वाली किसी भी प्रकार की कार्यवाही का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग के स्वंय का होगा।

02/9/2019
(डा0 नीरज चतुर्वेदी)
वैज्ञानिक सहायक
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा।

02/9/2019
(डी0के0 गुप्ता)
सहा0पर्या0 अभि0
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा।

(अरविन्द कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा।

2/9/19
(अभिषेक गोयल)
उप जिलाधिकारी
मॉट, मथुरा।

2/9/19
(विशाल साठे)
चीफ इक्जीक्यूटिव

शेरसिंह
(शेर सिंह)
सुपरवाइजर

उद्योग प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

Bio Medical Waste Disposal Agency
Vishal Sathe
Signatory Authority

02/09/19
(अजय कुमार यादव)
नायब तहसीलदार
मॉट, मथुरा।

टिप्पणी एवं आदेश

मा0 एन0जी0टी0 में दायर ओ0ए0 सं0–450/2019 (आई0ए0 न0 313/2019) धर्मेन्द्र कुमार मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक–06.05.2019 के क्रम में जिलाधिकारी महोदय, मथुरा द्वारा पत्र सं0–1502/ओ0एस0डी0/19 दिनांक 09.05.2019 द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया, जो दाहिनी ओर पताका–क पर संलग्न है। उक्त समिति द्वारा दिनांक 15.06.2019 को मै0 बायो मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल एजेन्सी, खसरा सं0–622, राया–नीम गांव रोड़, ग्राम–पाण्डवा, मॉट, मथुरा का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण आख्या दाहिनी ओर पताका–ख पर संलग्न है। निरीक्षण के दौरान उत्प्रवाह, स्टैक उत्सर्जन एवं परिवेशीय वायु के नमूने एकत्रित किए गये, जिनकी विश्लेषण आख्या दाहिनी ओर पताका–ग पर संलग्न है, जो कि बोर्ड मानकों के अनुरूप नहीं है, इस हेतु पर्यावर्णीय क्षतिपूर्ति हेतु बोर्ड मुख्यालय पत्र प्रेषित किया गया है। उक्त के अनुक्रम में बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0–एच 37511/सी–4/बी0एम0डब्ल्यू0–30/कारण बताओ नोटिस/2019 दिनांक 01.08.2019 द्वारा रू0–12,10,000/– मात्र की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, अधिरोपित धनराशि का भुगतान न किये जाने एवं कारण बताओ नोटिस का समुचित प्रतिउत्तर न दिये जाने के कारण बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र सं0–एच 40273/सी–4/बी0एम0डब्ल्यू0/30/बन्दी/19 दिनांक 22.08.19 द्वारा बन्दी आदेश जारी किया गया, जिसकी प्रति आपको पृष्ठांकित है (छायाप्रति संलग्न) पताका–'घ'।

बोर्ड द्वारा निर्गत बन्दी आदेश के अनुपालनार्थ आपसे अनुरोध है कि किसी सक्षम अधिकारी/मजिस्ट्रेट को नामित करने का कष्ट करें कि वर्णित इकाई को बन्द/सील करते हुए अग्रिम कार्यवाही की जा सके। उपरोक्त टिप्पणी आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत।

(अरविन्द कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी

जिलाधिकारी महोदय,

SDM मांट को नामित करने का प्रस्ताव है। द: अनुमोदन देना चाहें।

2/9/19
ADM(F/R)

2/9/19

बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र सं0–एच 39511/सी–4/बी0एम0डब्ल्यू0–30/कारण बताओ नोटिस/2019 दिनांक 01.08.2019 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथा संशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी "कारण बताओ नोटिस" के सन्दर्भ में उद्योग मै0 बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल एजेन्सी, खसरा सं0–622, राया–नीमगांव रोड़, ग्राम–पाण्डवा, तहसील–मॉट, जनपद–मथुरा की निरीक्षण आख्या–

आपके आदेशानुसार उपरोक्त सन्दर्भित विषय के सम्बन्ध में उद्योग का निरीक्षण दिनांक 19.08.2019 को अधोहस्ताक्षरीकर्ताओं द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान उद्योग संचालित पायी गयी तथा उद्योग प्रतिनिधि के रूप में श्री शेर सिंह, सुपरवाईजर उपस्थित थे। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है–

1. इकाई द्वारा हॉस्पीटल, नर्सिंग होम्स, क्लीनिक इत्यादि से जनित होने वाले बायो मेडिकल वेस्ट का ट्रीटमेन्ट/इन्सीनिरेशन किया जाता है। इकाई परिसर में 200 कि0ग्रा0 प्रतिघण्टा क्षमता का एक इन्सीनरेटर स्थापित है जो कि निरीक्षण के दौरान संचालित पाया गया, उक्त के अतिरिक्त परिसर में 100 कि0ग्रा0 प्रतिघण्टा क्षमता का एक और इन्सीनरेटर स्थापित है जो कि अप्रयोज्य स्थिति में है। इन्सीनरेटर में बायो मेडिकल वेस्ट की फीडिंग मैनुअल की जाती है।
2. निरीक्षण के दौरान परिसर के अन्दर काफी मात्रा में अव्यवस्थित तरीके से बायो मेडिकल वेस्ट भण्डारित पाया गया, जहॉं से अत्यधिक मात्रा मे दुर्गन्ध उड रही थी। इस प्रकार परिसर के अन्दर हाउस कीपिंग अत्यन्त ही असन्तोषजनक पाया गया (फोटोग्राफ संलग्न)।
3. निरीक्षण के दौरान परिसर के अन्दर श्रेडर व आटो क्लेव मशीन अप्रयोज्य स्थिति में पायी गयी (फोटोग्राफ संलग्न)। इन्सीनरेटर के प्राइमरी चैम्बर व सैकेण्डरी चैम्बर का तापमान 1168^{0}C व 1231^{0}C पाया गया (फोटोग्राफ संलग्न)। डक्ट लाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण इन्सीनरेटर से जनित गैसीय उत्सर्जन में लीकेज पाया गया। पूर्व में लीकेज ठीक करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसका अनुपालन नहीं किया गया।
4. निरीक्षण के दौरान वेन्चुरी स्क्रबर से जनित होने वाले प्रदूषित उत्प्रवाह का उपचार नहीं होता पाया गया निरीक्षण के दौरान ई0टी0पी0 की समस्त इकाईयां बन्द पायी गयीं। निरीक्षण के दौरान ई0टी0पी0 कार्यरत न होने की सूचना लागबुक पर अंकित कराकरके उद्योग प्रतिनिधि से लागबुक पर हस्ताक्षर कराया गया (फोटोग्राफ संलग्न)।
5. बोर्ड द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस का पत्र उद्योग प्रतिनिधि को दिनांक 03.08.2019 को प्राप्त कराया गया, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।
6. दिनांक 30.07.2019 को निरीक्षण के दौरान अनुश्रवण छिद्र, प्लेटफार्म व सीढी केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिशा निर्देशों के अनुरूप किये जाने के लिए पुनः निर्देश दिये जाने के बावजूद भी उक्त का अनुपालन नहीं किया गया है (फोटोग्राफ संलग्न)। इस प्रकार उद्योग द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का अनुपालन न करते हुए प्रदूषण नियंत्रण सम्बन्धी अधिनियमों के अनुपालन में उदासीनता बरती जा रही है।
7. बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र सं0–एच 39511/सी–4/बी0एम0डब्ल्यू0–30/कारण बताओ नोटिस/2019 दिनांक 01.08.2019 द्वारा उद्योग पर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0–12,10,000/– मात्र का भुगतान क्षेत्रीय कार्यालय के अभिलेखों के अनुसार उद्योग द्वारा नहीं किया गया है।
8. उपरोक्त वर्णित बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 01.08.2019 के अनुक्रम में उद्योग ने अपने पत्र दिनांक 17.08.2019 के माध्यम से कार्यालय में दिनांक 19.08.2019 को दोपहर 02.00 बजे कार्यालय को उपलब्ध कराया गया जिसकी छायाप्रति अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए उद्योग पर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान न किये जाने (क्षेत्रीय कार्यालयके अभिलेखानुसार) एवं पत्र में दिये गये निर्देशों का समुचित अनुपालन न किये जाने के कारण बोर्ड मुख्यालय द्वारा जारी "कारण बताओ नोटिस" की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की जाती है। निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एंव अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत।

20/8/19	20/8/19
(डा0 नीरज चतुर्वेदी)	(डी0के0 गुप्ता)
वैज्ञानिक सहायक	सहा0पर्या0 अभि0

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

VECHICL LOG -BOOK

DATE 17=8=19

S. No. - Name Of District	Vechicle Registration Number	Name Of Driver	TIME	TOTAL WASTE
1. MATHURA	UP-85/T9405	ROHTAS KUMAR	8 = Am	440 Kg
2. KASGANJ	UP-87/T0217	WARIS ALI	11 = Am	300 Kg
3. SAMBHAL	UP-81/BT6247	SANJAY KUMAR.	1 = P.M	210 Kg
4. ALIGARH	UP-81/T0109	SHIO RAJ SINGH	2 = P.M	300 Kg
5. HATHRAS	UP-81/BT2665	RAJEEV KUMAR	3 = P.M	205 Kg
6. ETAH	UP-81/AF3685	MOHAN SINGH	4 = P.M	200 Kg
7. FIROZABAD	UP-76/K4736	DHEERAJ KUMAR	5 = P.M	210 Kg
			TOTAL	1765 Kg

DATE

S. No. - Name Of District	Vechicle Registration Number	Name Of Driver	TIME	TOTAL WASTE
1. MATHURA	UP-85/T9405	ROHTAS KUMAR		
2. KASGANJ	UP-87/T0217	WARIS ALI		
3. SAMBHAL	UP-81/BT6247	SANJAY KUMAR		
4. ALIGARH	UP-81/T0109	SHIO RAJ SINGH		
5. HATHRAS	UP-81/BT2665	RAJEEV KUMAR		
6. ETAH	UP-81/AF3685	MOHAN SINGH		
7. FIROZABAD	UP-76/K4736	DHEERAJ KUMAR		
			TOTAL	

Inspection of C.B.M.W.T.F. was carried out in reference to [illegible] Show cause Notice issued by H.O. of U.P.P.C.B. At the time of Inspection Huge amount of B.M.W. was found in the premises of Industry. E.T.P. was not functional. Shredding & Auto clave was not in operational condition. No Improvement in Plate form L Stairs is found at the time of Inspection. 11-00 AM.

[illegible] दि 19=8=19 — Sd/- 19.8.2019 A.E.G., UPPCB Mathura — Sd/- 19/8/19 S.A., U.P.P.C.B. Mathura

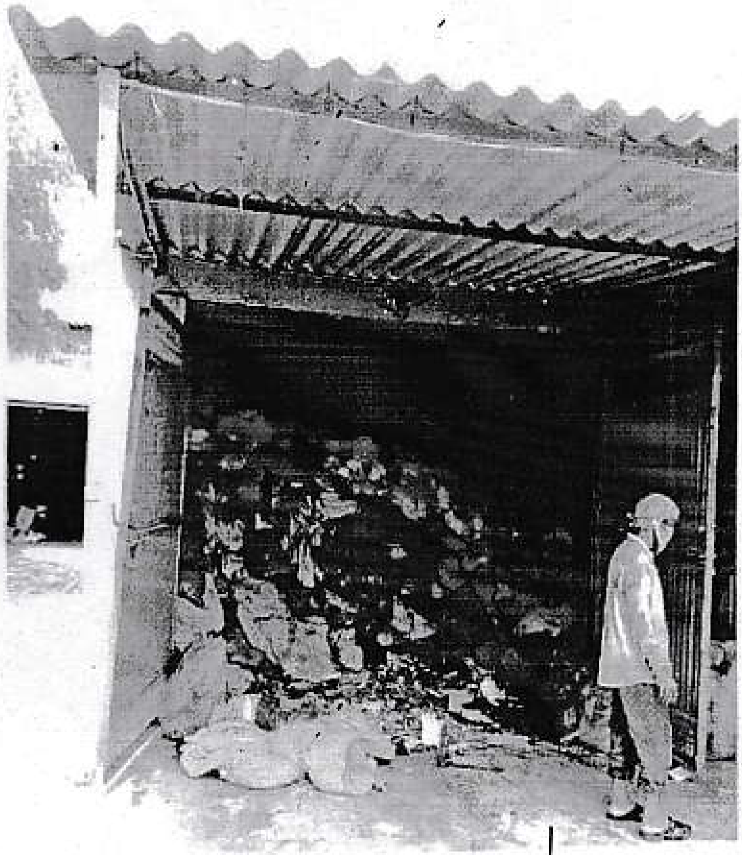

दिनांक 19.08.2019 को निरीक्षण के दौरान अत्यधिक मात्रा में एकत्रित बायो मेडिकल वेस्ट

दिनांक 19.08.2019 को निरीक्षण के दौरान इन्सीनरेटर से सम्बद्ध चिमनी की क्षतिग्रस्त सीढी, प्लेट फार्म,

दिनांक 19.08.2019 को निरीक्षण के दौरान कन्ट्रोल पैनल

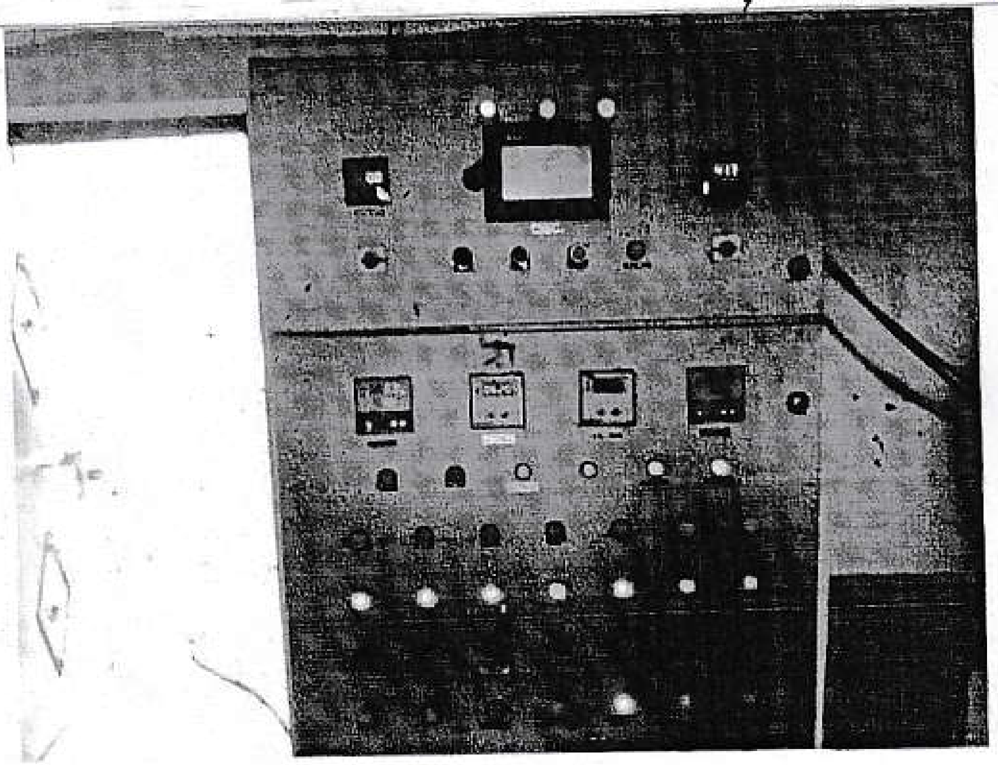

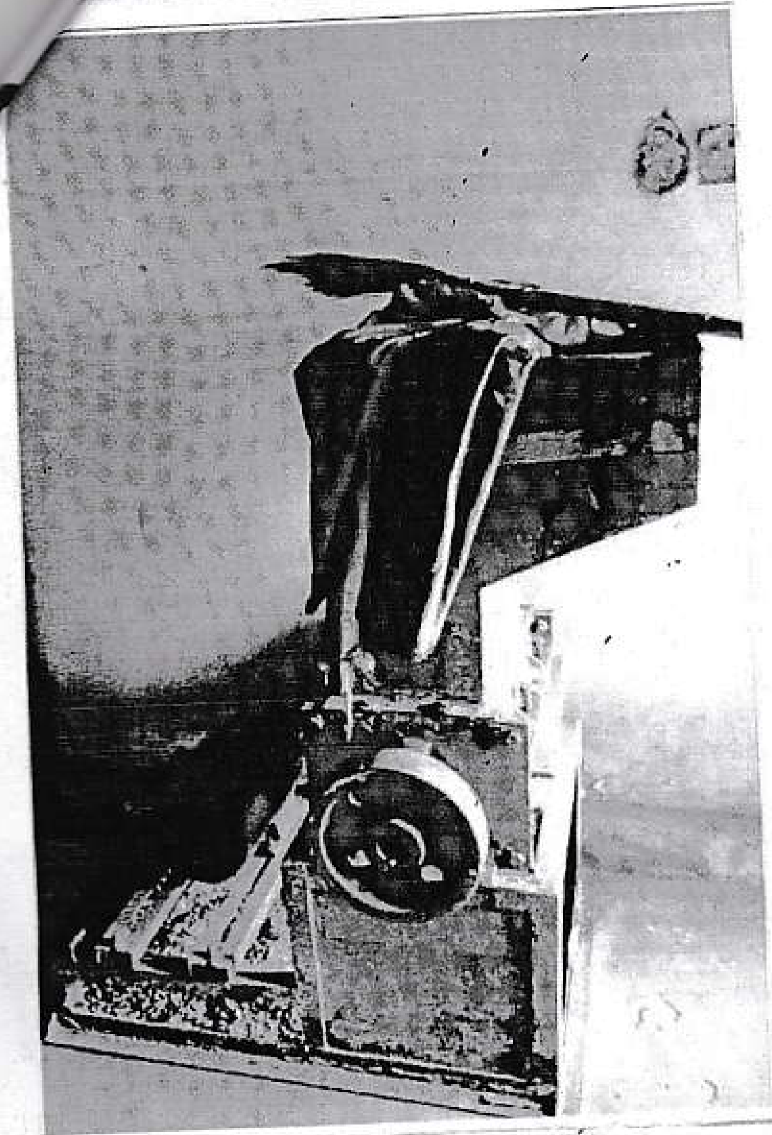

दिनांक 19.08.2019 को
निरीक्षण के दौरान
निष्प्रयोज्य श्रेडर मशीन

दिनांक 19.08.2019 को निरीक्षण के दौरान निष्प्रयोज्य ऑटो क्लेव

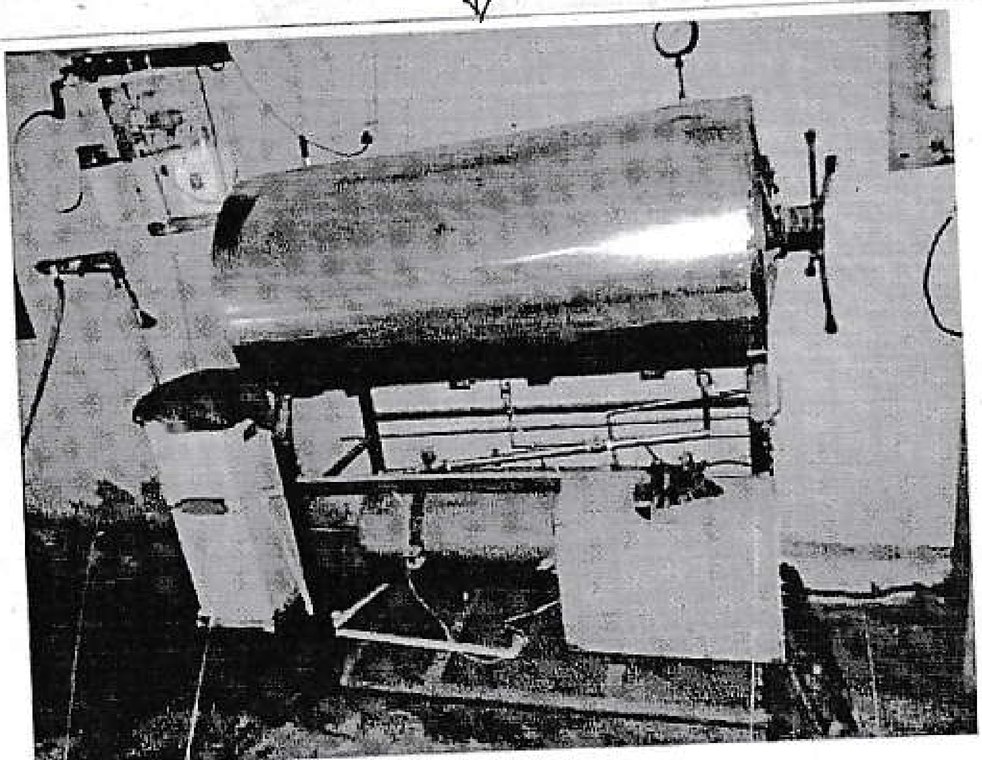

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पंजीकृत

संदर्भ संख्या H39511 सी–4 / BMW-30 / कारण बताओ नोटिस / 2019 दिनांक 1-8-19

मै0 बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल एजेन्सी (CBWTF),
खसरा सं0–622, राया–नीमगाँव रोड, ग्राम–पाण्डवा, मॉट,
मथुरा (उ0प्र0)।

मै0 बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल एजेन्सी (CBWTF), खसरा सं0–622, राया–नीमगाँव रोड, ग्राम–पाण्डवा, मॉट, मथुरा जो कि आगे CBWTF के रूप में पढ़ा जायेगा, द्वारा विभिन्न हेल्थ केयर फैसिलिटी से जनित जैव चिकित्सा अपशिष्ट के एकत्रण, परिवहन, हथालन एवं जैव चिकित्सा अपशिष्ट नियम, 2016 में वर्णित प्राविधानों के अंतर्गत विभिन्न श्रेणी के जैव चिकित्सा अपशिष्ट के निस्तारण हेतु कार्यरत है, जो कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि CBWTF द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्धन) नियम, 2016 में वर्णित प्राविधानों के अंतर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य केन्द्रों से नियमानुसार जैव चिकित्सा अपशिष्ट का उठान समय से नहीं किये जाने की शिकायत के सम्बन्ध में मै0 बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल एजेन्सी (CBWTF), खसरा सं0–622, राया–नीमगाँव रोड, ग्राम–पाण्डवा, मॉट, मथुरा के विरूद्ध 01.04.2019 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति क्षेत्रीय अधिकारी, मथुरा द्वारा दिनांक 25.04.2019 की गयी है।

यह कि CBWTF का पुनः निरीक्षण, माननीय एन0जी0टी0 नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 संख्या 450 / 2019 (आई0ए0 सं0–313 / 2019) धर्मेन्द्र कुमार मेहता प्रति यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.05.2019 के अनुपालन में, गठित संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 15.6.2019 को किया गया। निरीक्षण के दौरान स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र, इन्सीनिरेटर से सम्बद्ध वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र समुचित रूप से कार्यरत नहीं पाया गया। प्राइमरी एवं सेकेण्डरी चैम्बर के तापक्रम अपेक्षित तापक्रम की तुलना में 380 डिग्री0 सेल्सियस एवं 428 डिग्री सेल्सियस पाया गया जबकि प्राइमरी चैम्बर का तापक्रम 800 डिग्री सेल्सियस एवं सेकेण्डरी चैम्बर का तापक्रम 1050 डिग्री से कम नहीं होना चाहिये।

यह कि CBWTF में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का नियमानुसार निस्तारण होता हुआ दिनांक 15.06.2019 के निरीक्षण में नहीं पाया गया तथा श्रेडर एवं आटोक्लेव की मशीनें निष्प्रयोज्य पायी गयीं। इन्सीनिरेटर से सम्बद्ध चिमनी पर गैसीय उत्सर्जकों के अनुश्रवण हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाइड के अनुसार व्यवस्था स्थापित नहीं पाया गया। CBWTF की चिमनी से निस्तारित गैसीय उत्सर्जकों की जाच दिनांक 15.06.2019 को उद्योग प्रतिनिधि श्री शेर सिंह (आपरेटर) की उपस्थिति में क्षेत्रीय कार्यालय, मथुरा द्वारा किया गया, जिसमें पार्टिकुलेट मैटर हेतु निर्धारित मानक 50.0 mg/Nm3 के सापेक्ष 108.0 mg/Nm3 पाया गया।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय मथुरा द्वारा पुनः दिनांक 30.07.2019 को CBWTF का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान इन्सीनिरेटर का रखरखाव एवं संचालन जैव चिकित्सा अपशिष्ट नियम, 2016 में वर्णित प्राविधानों के अनुरूप नहीं पाया गया तथा चैम्बर में जैव चिकित्सा अपशिष्ट के फीडिंग का कार्य कन्वेयर के माध्यम से न करके मैनुअली किया जाना पाया।

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थिति में मै0 बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल एजेन्सी (CBWTF), खसरा सं0–622, राया–नीमगाँव रोड, ग्राम–पाण्डवा, मॉट, मथुरा के विरूद्ध दिनांक 01.04.2019 से 30.07.2019 की अवधि में जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 का अनुपालन न पाये जाने की स्थिति में क्षेत्रीय कार्यालय, मथुरा की संस्तुति दिनांक 25.04. 2019 एवं 30.07.2019 के अनुसार कुल 121 दिवस हेतु प्रतिदिन रू0 10,000 /– की दर से कुल रू0 12,10,000 /– (बारह लाख दस हजार) मात्र पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के साथ–साथ वायु (प्रदूषण

निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित में राज्य बोर्ड को प्राप्त शक्तियों के अधीन सक्षम अधिकारी की अनुमति से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए सपठित 21(6) के अंतर्गत निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है कि क्यों न निम्नरूपेण आदेश/निर्देश तत्काल प्रभाव से जारी कर दिये जायें :–

1. यह कि मै0 बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल एजेन्सी (CBWTF), खसरा सं0–622, राया–नीमगॉव रोड, ग्राम–पाण्डवा, मॉट, मथुरा को वायु को वायु अधिनियम, 1981 की धारा–21/22 के अंतर्गत जारी सहमति आदेश को निरस्त कर दिया जाये।
2. यह कि मै0 बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल एजेन्सी (CBWTF), खसरा सं0–622, राया–नीमगॉव रोड, ग्राम–पाण्डवा, मॉट, मथुरा के औद्योगिक प्रक्रिया के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
3. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाये कि वे मै0 बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल एजेन्सी (CBWTF), खसरा सं0–622, राया–नीमगॉव रोड, ग्राम–पाण्डवा, मॉट, मथुरा को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति व जल आपूर्ति सहित अन्य समस्त सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित कर दें।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि कुल रू0 12,10,000/– (बारह लाख दस हजार) मात्र राज्य बोर्ड के बैंक यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ बैंक खाता सं0 701502010002104 IFSC Code UPIN0570150 में पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर जमा करना सुनिश्चित करें तथा उपरोक्त बिन्दुओं पर अपना स्पष्टीकरण 15 दिन के अन्दर प्रेषित करें। निर्धारित अवधि में सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से।

(इं0 आर0के0 सिंह)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. जिलाधिकारी, मथुरा।
2. मुख्य चिकित्साधिकारी, मथुरा।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अन्दर इकाई का निरीक्षण कराकर आख्या 15 दिन में स्पष्ट संस्तुति सहित मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी